



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १९८

महि बिल्ली, शनिवार, महि 10, 1980/वंशाम 20, 1902

No. 191

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 1980/VAISAKHA 20, 1902

इस भाग में मिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घटना संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा संवादात्मक को छोड़ कर) भारत सरकार के संवादात्मकों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपचालित आवृत्ति सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संस्कृत कार्य विभाग

મર્વિ દિલ્લી, 26 અપ્રૈલ, ૧૯૭૦

साठ काठ निं 509 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रभाव द्वारा प्रदेश लक्षितों का प्रयोग करने हए, संसदीय रूप से विभाग (भारी और मेड की शर्ते) नियम, 1963 में घोषणाधन करने के लिए निर्माणशिक्षित नियम बनाने हैं, यथार्थ —

- (1) इन नियमों का नाम संवर्द्धक कार्य विभाग (सर्वी ओर सेवा की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1980 है।
 - (2) में राजपत्र में प्रकाशन की तरीख को प्रबृत्त होगे।
 2. संवर्द्धक कार्य विभाग (सर्वी ओर सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 4 के उपनियम (2) में, अण्ड (क) के स्थान पर निम्न-विविध छाप रखा जाया, अर्थात्:—

"(क) अवर सनिव की श्रेणी में ७५ प्रतिशत रिसिलयों
ग्रन्तभाग भ्रष्टाचारियों की श्रेणी के ऐसे व्यापी भ्रष्टाचारियों से,
जिन्होंने उस श्रेणी में कम-से-कम ४ वर्ष की ग्रन्तभागिता सेवा कर
ली है, व्यापी संगतीय वर्ष विभाग के द्वारा 'क' शास्त्रियिकों
में से

से ऐसे स्थायी अधिकारियों से, जिन्होंने उप श्रेणी में कम से कम ५ दर्ता की अनुमति दिल भेजा कर ली है और जो कम से, कम दो लर्बे तक भव्यताग्र अधिकारी के रूप में जारी कर चुके हैं, व्यापक और चयन द्वारा भी आएंगी, जो २५ प्रतिशत रिक्तियाँ, माध्य-रणनीता भारतीय प्रशासनिक भेजा, केंद्रीय भेजा ममूल 'क' या राज्य भेजा ममूल 'क' के उपयुक्त प्रशिक्षियों के स्थानात्मक या प्रतिनियुक्त द्वारा भरी जाएँगी :

परन्तु ये भी 'क' प्रामुखिकियों के किसी ऐसे प्रधिकारी को भी, जिसमें दो वर्ष अनुभाग अधिकारों के बीच ये कार्य नहीं किया है, अबर मन्त्रिय की थेणी में प्रोत्स्थि के लिए बिदार में लिया जा सकेगा, यदि वह अन्यथा ऐसी प्रोत्स्थि के लिए यात्रा है और केन्द्रीय सरकार के सम्मदीय कार्य विभाग का ऐसे कारणों में, जो नेष्टवडु किए जाएंगे, यह गमाधार हो जाता है कि देशे अविन को सेशा की आस्थावश्यकताओं के कारण अनुभाग अधिकारी की श्रेष्ठों में विषयक नहीं किया गया था।"

[संग्रह फा० ४ (२)। ७९-प्रणाली]

प्रसूति एजेंट आहिजा, प्रवार भन्निये

(म) स्तम्भ 10 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"आवश्यक"

१. उच्चतर शास्त्रीय वा उनके समतुल्य
२. भंडारी के संसालने और उनके लेखा के अनुरक्षण का लगभग तीन वर्ष का अनुभव।

वांछीय :

१. एकांश में 30 अब्द प्रति मिनट ली गयी काशान।

(क) स्तम्भ 11 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"नहीं"

(ज) स्तम्भ 12 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"विद्युत और दृश्य प्रकाश विदेशीय के क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाईयों और क्षेत्रीय विदेशीय केन्द्रों के लिए निम्न श्रेणी नियमिका ("यद्यपि बाह्य में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित लेखा कर ली है, जिनके न हो उनके एवं वृक्षनां और प्रसारण में विवरण के केन्द्रीय संचियालय प्रतिक्रिया के लिए निम्न श्रेणी नियमिकों में से प्रतिनियुक्त होता, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित लेखा कर ली है, जियके त ही समय पर योग्यी भर्ती होती है।")

[सं. ए १२०१४/४/७९-स्ट०]

कु० मंत्रा संस्कैता, लेखा नियमन

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 22nd March, 1980

G.S.R. 541.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity, (Class III Posts) Recruitment Rules 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity, (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III posts) Recruitment Rules 1962,—

(1) for the word and figure "Class III" wherever they occur the word and letter "Group C" shall be substituted.

(2) in the Schedule against S. No. 11 relating to the post of storekeeper,—

(a) for the entry under column 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560."

(b) for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not applicable";

(c) for the entry under column 6, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by direct recruitment";

(d) for the entry under column 10, the following entry

shall be substituted, namely :—

"Essential

1. Higher Secondary or its equivalent.
2. About 3 years experience of handling Stores and maintaining accounts thereof.

Desirable

1. Knowledge of typewriting at a speed of 30 words per minute;"

(e) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"No";

(f) for the entry under column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"from amongst Lower Division Clerks (Ex-Cadre) in the Field Exhibition Units and Regional Distribution Centres in the Directorate of Advertising and Visual Publicity with three years regular service in the Grade Failing which by deputation from Lower Division Clerk, of Central Secretarial Clerical Service of the Ministry of Information and Broadcasting with 3 years regular service in the Grade failing both by direct recruitment."

[No. A. 12018/4/79-Bst.]

MISS MIRA SAXENA, Controller of Accounts

लंड फिल्मी, २६ अप्रैल, १९८०

सं० कालिं० ५४२—राज्यपाल, सरियान के अनुच्छेद ३०९ के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त वार्ताया का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह 'य' वर्ग) अर्ती नियम, १९७९ में और संजोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम दर्शाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आकाशवाणी (समूह 'य' वर्ग) अर्ती (समावन) नियम, १९८० है।

(2) वे राज्यपाल में प्रदत्तान की नीतिय से प्रत्यक्ष होते हैं।

2. आकाशवाणी (समूह 'य' वर्ग) अर्ती नियम, १९७९ की अनुसूची में, "(कर्तव्य तकनीकीय के लिए ३५ वर्ष)" कीउक्ती, शब्दों "प्रोफ. अंकों के स्थान पर, जहा कही दे जाएगा ७ के स्थान प्राप्त है" ("कर्तव्य सरकार द्वारा इस बात के सामान्यान्वय पर जारी किया जए अनुदायों के अनुसार में विभागीय अन्वयों के लिए ३५ वर्ष तक प्रतिक्रिया की जा सकती है") कानून, लंड द्वारा क्रम संख्या जारी किया।

[सं. ११/४५/७६-एस आई बी-काल. ११]

दी० द्वापाल, ग्रावर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1980

G.S.R. 542.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules, 1979, for the brackets, words and figures "(Retirable upto 35 years for Government servants.)" wherever they occur under column 7, the brackets, words and figures "(Retirable upto 35 years for Departmental candidates in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard)" shall be substituted.

[No. 11/45/76-SIV-Col. III]

V. KRISHNAN, Under Secy.